PLUTUS IAS

UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

01/07/2024 से 07/07/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. भारत में बायो-बिटुमेन या जैव कोलतार का उत्पादन शुरू..... 1
2. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण की 30वीं वर्षगाँठ 3
3. भारत में तीन नए आपराधिक कानूनों का लागू होना 4
4. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और उपभोक्ता संरक्षण... 8
5. भारत का कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में उपस्थिति 10
6. भारत में मातृ मृत्यु दर बनाम महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम 13

करंट अफेयर्स
जुलाई 2024

भारत में बायो-बिटुमेन या जैव कोलतार का उत्पादन शुरू

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' जैव विविधता, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण , विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा , बायो – बिटुमेन या जैव – कोलतार ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में बायो-बिटुमेन या जैव कोलतार का उत्पादन शुरू ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत ने बायोमास या कृषि अपशिष्ट से बड़े पैमाने पर बायो-बिटुमेन या जैव-कोलतार का उत्पादन शुरू करने की योजना शुरू की है।

बायो-बिटुमेन या जैव-कोलतार :

- बायो-बिटुमेन एक जैव-आधारित बिंडर (बांधक) होता है, जो वनस्पति तेलों, फसल के ठूंठ, शैवाल, लिग्निन (लकड़ी का एक घटक) या पशु खाद जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है।
- बायो-बिटुमेन उत्पादन को पेट्रोलियम बिटुमेन के स्थानीय विकल्प के रूप में विकसित किया गया है, जिससे पर्यावरण के प्रति प्रभाव को कम किया जा सके।
- यह सड़कों और छतों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसे प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन, संशोधक, और कायाकल्प के तौर पर उपयोग किया जाता है।
- बायो-बिटुमेन तकनीक से सड़कें बनाने में पराली का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

उत्पत्ति और उत्पादन :

- पेट्रोलियम बिटुमेन के समान ही, बायो-बिटुमेन भी कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए वनस्पति तेलों और अन्य जैविक स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जिनकी प्राकृतिक उचितता और उपलब्धता अधिक होती है। बियोमास संयंत्रों, जैवगैसिफिकेशन और अन्य तकनीकियों का उपयोग करके इसे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न किया जा सकता है।

गुण और उपयोग :

- बायो-बिटुमेन का मुख्य उपयोग वायुमुक्त संरचनाओं में होता है, जैसे कि सड़क निर्माण (डामर फर्श), इमारतों, और समुद्री संरचनाओं के लिए जलरोधी बिंडर के रूप में। इसकी उच्च चिपकने और जलरोधी गुणवत्ता के कारण, यह संरचनाओं के लिए दुर्गमता और ट्रेडिशनल बिंडर के रूप में एक प्रतिस्थापन माध्यम के रूप में विकसित किया गया है।

बायो-बिटुमेन या जैव-कोलतार के उपयोग के तरीके :

- **प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन :** पेट्रोलियम बिटुमेन को पूर्णतः बायो-बाइंडर से प्रतिस्थापित करना।
- **संशोधक :** पारंपरिक बिटुमेन के गुणों में सुधार के लिए उसमें जैव-पदार्थ मिलाना।
- **कायाकल्प :** पुराने डामर फुटपाथों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बहाल करना।
- **बायो-बिटुमेन का पेट्रोलियम बिटुमेन के एक विकल्प के रूप में उपयोग :** भारत में बायो-बिटुमेन एक समीक्षात्मक विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है जो संरचनाओं के निर्माण में पेट्रोलियम बिटुमेन के प्रयोग को प्राकृतिक और पर्यावरणीय रूप से वित्तीय वर्ष 24-2023 में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण लगभग 12,300 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है, जो लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन के बराबर है।

- **भारत में बिटुमेन की खपत :** भारत में बिटुमेन की खपत इसके उत्पादन, आयात और उपयोग की विविधता को दर्शाती है, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ इसकी खपत में वृद्धि का मापन भी करती है।

भारत में बायो-बिटुमेन या जैव कोलतार उत्पादन पहल का मुख्य उद्देश्य :

भारत में बायो-बिटुमेन या जैव कोलतार का उत्पादन का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है-

- **आयात निर्भरता कम करना :** इसका प्राथमिक उद्देश्य आगामी दशक में आयातित बिटुमेन के स्थान पर घरेलू स्तर पर उत्पादित जैव-बिटुमेन का उपयोग करना है, जिससे विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आएगी।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान :** जैव-बिटुमेन उत्पादन का उद्देश्य बायोमास और कृषि अपशिष्ट को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करके पराली जलाने से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को कम करना है।
- **सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना :** जैव-आधारित सामग्रियों का उपयोग करके, यह पहल टिकाऊ सड़क निर्माण प्रथाओं का समर्थन करती है और वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप है।
- **तकनीकी विकास एवं प्रायोगिक अध्ययन :** केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) जैव-बिटुमेन का उपयोग करके 1 किलोमीटर की सड़क पर एक पायलट अध्ययन करने के लिये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है।

भारत में जैव-बिटुमेन के उत्पादन की प्रमुख चुनौतियाँ :

भारत में जैव-बिटुमेन के उत्पादन और उपयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। जो निम्नलिखित है –

- **लागत प्रभावशीलता** :
  - वर्तमान में जैव-बिटुमेन उत्पादन पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है।
- **दीर्घकालिक प्रदर्शन** :
  - जैव-ऐस्फाल्ट के दीर्घकालिक प्रदर्शन और स्थायित्व का आकलन करने के लिए अधिक व्यापक क्षेत्रीय परीक्षणों की आवश्यकता होती है।
- मानकीकरण :
  - जैव-बिटुमेन को व्यापक रूप से अपनाने हेतु इसके लिए स्पष्ट मानक और विनिर्देश स्थापित करना आवश्यक है।
- अन्य नवाचार विधियाँ :
  - **स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी**:
  - स्टील स्लैग, स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का उपयोग करके अधिक मजबूत और टिकाऊ सड़कें बनाने की एक नई विधि है।
  - जर्मनी के हैम्बर्ग में कंपनियों ने लागत कम करने, ऊर्जा बचाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 100% पुनर्नवीनीकरण डामर फुटपाथ (RAP) विकसित किया।
  - **प्लास्टिक सड़कें**:
  - भारत ने कुल 2,500 किलोमीटर से अधिक विस्तृत प्लास्टिक सड़कों का निर्माण किया है।
  - वैश्विक स्तर पर भी 15 से अधिक देशों में प्लास्टिक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
  - उदाहरण के लिए लद्दाख में सड़क निर्माण के लिये कम-से-कम 10% प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पर्यावरण की दृष्टि से कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए भारत में सडकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ? (UPSC – 2020)

1. जियोटेक्सटाइल्स ।
2. शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी ।
3. कॉपर स्लैग ।
4. शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी ।
5. ऊष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी ।
6. पोर्टलैंड सीमेंट ।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

A. केवल 2, 3 और 4

B. केवल 3, 4 और 5

C. केवल 2 ,1 और 5

D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में बायो-बिटुमेन या जैव कोलतार के उत्पादन के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए इसके प्रमुख चुनौतियों विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण की 30वीं वर्षगाँठ

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' शासन एवं राजव्यवस्था , अंतर्राष्ट्रीय संबंध , महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) , अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) , समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान , समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण की 30वीं वर्षगाँठ ' से संबंधित है।)

समाचारों में क्यों ?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority- ISA) ने अपनी 30वीं वर्षगाँठ मनाई।
- इस एजेंसी की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय जल में निर्जीव समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग की देखरेख के लिए की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) :

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) और UNCLOS के भाग XI के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 के समझौते के तहत किया गया था।
- इसका मुख्यालय किंग्स्टन, जमैका में स्थित है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) में भारत सहित कुल 168 सदस्य राज्य और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- इसके अधिकार क्षेत्र में विश्व के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग %54 हिस्सा आता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) जो समुद्र के तल पर खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों का आयोजन, नियंत्रण और विनियमन करता है।
- यह क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) के प्रमुख उद्देश्यों में गहरे समुद्र में होने वाली गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और विनियमित करना शामिल है।

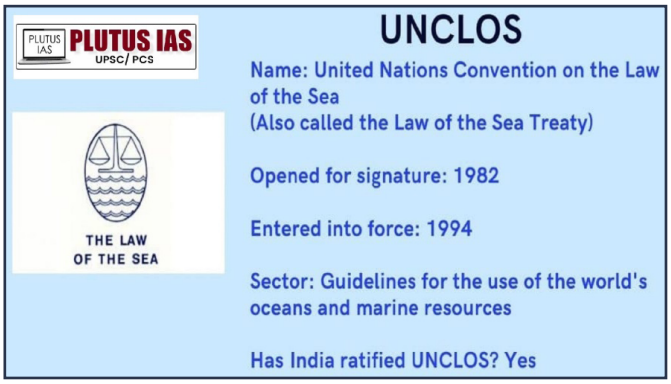

इसके तहत यह निम्नलिखित कार्यों को करता है:

- सभी अन्वेषण गतिविधियों और गहरे समुद्र में खनिजों के दोहन के संचालन को विनियमित करना।
- गहरे समुद्र तल से संबंधित गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- समुद्र से संबंधित समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- यह संगठन गहरे समुद्र में खनिजों के दोहन, जैव विविधता की रक्षा, और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसके निर्णयों का जैसे कि ईंधन के सल्फर सामग्री की सीमा को कम करने के नियमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY – ISA) के बीच संबंध :

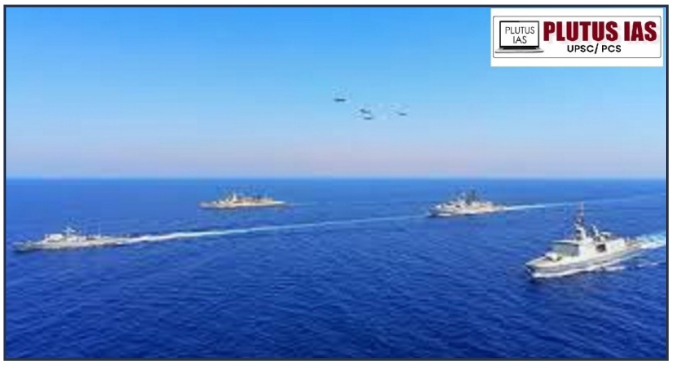

- भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority – ISA) के बीच सहयोग के तहत, 18 जनवरी 2024 को भारत ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण के लिए दो आवेदन प्रस्तुत किया था। **जो निम्नलिखित है** –

भारत की भूमि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण :

- **हिंद महासागर कटक (कार्ल्सबर्ग रिज) :** यहां पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए भारत ने आवेदन प्रस्तुत किया है।
- **मध्य हिंद महासागर (अफानसी-निकितिन सीमाउंट) :** यहां कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज परतें के अन्वेषण के लिए भारत ने आवेदन किया है।

वर्तमान में, भारत के पास हिंद महासागर में अन्वेषण के लिए दो अनुबंध हैं:

- मध्य हिंद महासागर बेसिन और रिज में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल।
- पॉलीमेटेलिक सल्फाइड।

यह अन्वेषण खनिज संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसे पर्यावरणीय प्रभाव और उससे संबंधित लाभ के साथ भी देखना चाहिए।

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) :

- 'समुद्री कानून संधि', जिसे औपचारिक रूप से समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के रूप में जाना जाता है, को वर्ष 1982 में महासागरीय क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ स्थापित करने के लिए अपनाया गया था।
- इस अभिसमय में आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा और 200 समुद्री मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 'समुद्री कानून संधि' के तहत विकसित देशों से अविकसित देशों को प्रौद्योगिकी और धन हस्तांतरण का प्रावधान है।
- साथ ही समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियमों और कानूनों को लागू करने की अपेक्षा भी की गई है।
- भारत ने वर्ष 1982 में समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) पर हस्ताक्षर किया है।
- समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत तीन नए संस्थान स्थापित किए गए हैं। जो निम्नलिखित है –
- **समुद्री कानून पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण :** यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना UNCLOS के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए की गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण :** यह महासागरों के निर्जीव संसाधनों की खोज और दोहन को विनियमित करने के लिए स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है।
- **महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं से संबंधित आयोग :** यह 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं की स्थापना के संबंध में समुद्री कानून (अभिसमय) पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC – 2018)

1. यह गहरे समुद्र में खनिजों के दोहन, जैव विविधता की रक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करता है।
2. इसका मुख्यालय किंग्स्टन, जमैका में स्थित है।
3. समुद्री कानून संधि को वर्ष 1982 में महासागरीय क्षेत्रों की सीमाएँ स्थापित करने के लिए अपनाया गया था।
4. भारत ने वर्ष 1982 में समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) पर हस्ताक्षर किया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह चर्चा कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण किस प्रकार समुद्र में खनिजों के दोहन, जैव विविधता की रक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? (UPSC CSE – 2019 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में तीन नए आपराधिक कानूनों का लागू होना

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य

अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था , विधायिका , सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure- CrPC), भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में तीन नए आपराधिक कानूनों का लागू होना ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गए हैं।
- ये तीनों नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक युग में अंग्रेजों के समय बने भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure- CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर अधिनियमित आपराधिक कानूनों की जगह लेने का काम कर रहे हैं।

नए आपराधिक कानून की प्रमुख विशेषताएँ :

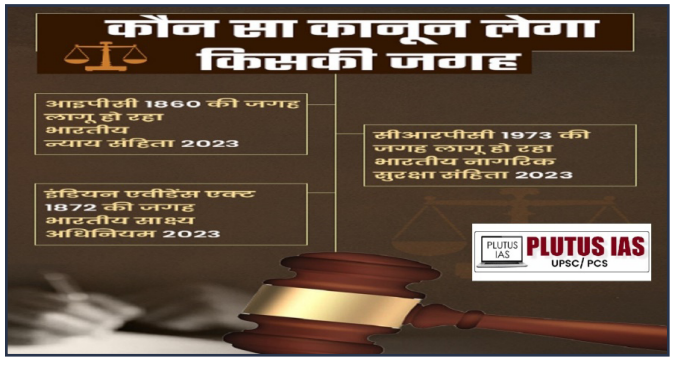

नए आपराधिक कानून का मुख्य उद्देश्य :

- इन नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के दंडों को न्याय-केंद्रित दृष्टिकोण से बदलना है। इसमें पुलिस जाँच और अदालती प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को एकीकृत करना शामिल है।

नए अपराधों में शामिल विभिन्न वर्गीकरण :

नए कानूनों में निम्नलिखित अपराधों के लिए विशेष प्रावधान और वर्द्धित दंड शामिल हैं:

- आतंकवाद।
- मॉब लिंचिंग (असंयत भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना) ।
- संगठित अपराध।
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध।

नए कानूनों के सहज क्रियान्वन के लिए उठाए गए प्रमुख कदम :

- भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने का उद्देश्य से नए आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से कुछ मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं –
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) : इसके तहत राजद्रोह को खत्म किया गया है और अब आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) : यह संहिता लैंगिक अपराधों के खिलाफ विरुद्ध होने वाले लोगों (पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों) को संबोधित करने के लिए एक धारा को भी शामिल करेगी।
- राज्यों को स्वायत्तता : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के कुछ प्रावधानों में राज्यों को स्वयं के संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- अंतरिम उपाय : जब तक संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता, तब तक पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे BNS के अंतर्गत अन्य संबद्ध धाराओं का उपयोग कर सकते हैं यदि उन्हें शारीरिक क्षति और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसी शिकायतें प्राप्त होती हैं।
- IPC और CrPC में हुए महत्वपूर्ण बदलाव : IPC और CrPC नए कानूनों के साथ ही क्रियान्वित रहेंगे क्योंकि कई मामले अभी भी न्यायालयों में लंबित हैं तथा 1 जुलाई 2024 से पहले हुए कुछ अपराध, जिनकी रिपोर्ट बाद में की गई है, उन्हें IPC के तहत दर्ज करना होगा।
- CCTNS और ऑनलाइन FIR : अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जा सकती है, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता के बिना कई भाषाओं में ई-FIR और ज़ीरो FIR दर्ज की जा सकती है।
- प्रशिक्षण और सहायता का प्रबंधन : भारत के सभी राज्यों को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता का प्रबंधन किया गया है।
- ई-साक्ष्य एप्लिकेशन मोबाइल एप : गृह मंत्रालय द्वारा विकसित ई-साक्ष्य एप्लिकेशन के माध्यम से अपराध स्थल के साक्ष्य रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और उन्हें ई-साक्ष्य एप्लिकेशन मोबाइल एप द्वारा अपलोड भी किया जा सकता है, वहीं भारत के विभिन्न राज्यों ने अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी स्वयं की प्रणालियाँ विकसित की हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस ने ई-प्रमाण एप्लिकेशन विकसित

की है।

नए कानूनों के प्रमुख प्रावधान :

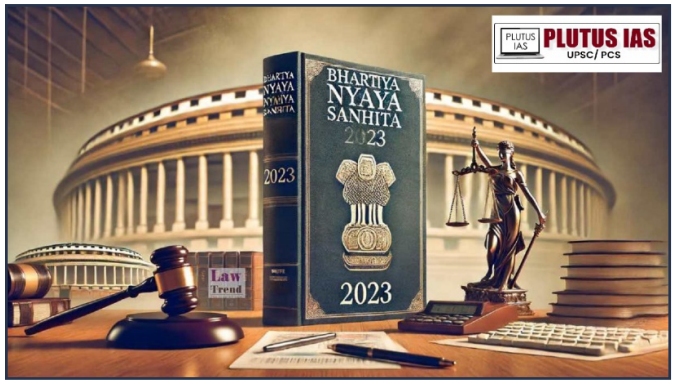

नए कानूनों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- सामुदायिक सेवा का प्रावधान : छोटे अपराधों के दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है।
- आतंकवादी कृत्य : नए कानूनों में आतंकवादी कृत्य को भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आशय से या संभावित रूप से किया जाने वाले कृत्य या लोगों को आतंकित करने के आशय से परिभाषित किया गया है।
- मॉब लिंचिंग के लिए दंड : इन नवीन कानूनों में नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक मान्यता पर आधारित पाँच या उससे अधिक लोगों द्वारा की गई मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
- भगोड़े/प्रपलायी अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना : भगोड़े या प्रपलायी अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकेगा।
- संक्षिप्त सुनवाई : 3 वर्ष तक की सज़ा संबंधी मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की जाएगी, जिसका लक्ष्य सत्र न्यायालयों में %40 से अधिक मामलों का समाधान करना है।
- तलाशी और ज़ब्ती के दौरान वीडियोग्राफी : इन कानूनों में तलाशी और ज़ब्ती के दौरान वीडियोग्राफी करना अनिवार्य किया गया है। ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई आरोप-पत्र मान्य नहीं होगा।
- पहली बार अपराध करने पर न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहा किया जाना : पहली बार अपराध करने वाला किसी भी व्यक्ति को जिसने कारावास की सज़ा का एक तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है, उसे न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
- फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लेना अनिवार्य किया जाना : सात साल या उससे अधिक अवधि के कारावास वाले प्रत्येक मामले में फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लेना अनिवार्य किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) :

- BNS में कुल 358 धाराएं हैं, जो IPC की 511 धाराओं की तुलना में कम हैं।
- 21 नए अपराध बीएनएस में जोड़े गए हैं।
- 41 अपराधों में जेल की सजा बढ़ी है और 82 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ी है।

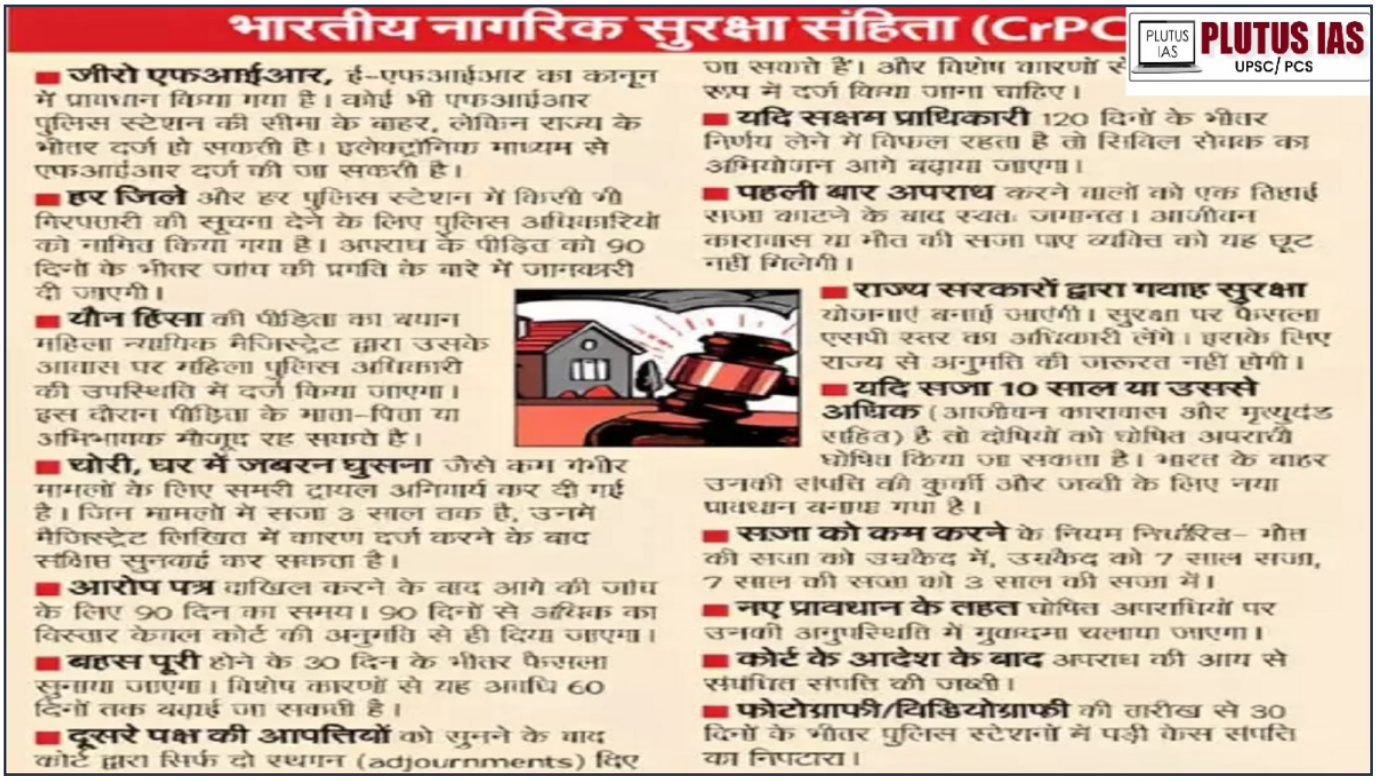

- 25 अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है।
- 19 धाराएं हटाई गई हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) :

- BNSS में कुल 531 धाराएं हैं, जिसमें 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
- 14 धाराएं खत्म हटा दी गई हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) :

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अपराधिक मामलों की FIRs लिखी जाएंगी।
- पुराने मामलों पर नए कानूनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- इस कानून के तहत ऑनलाइन FIR रजिस्टर करने की सुविधा है, जिससे पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।

ये तीनों नए कानून भारत की न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ – ही – साथ आपराधिक मामलों की त्वरित और सुगम न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।

सरकार द्वारा इससे संबंधित शुरू की गई प्रमुख पहल :

- न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन (AI पोर्टल SUPACE) : भारत सरकार ने न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत AI पोर्टल SUPACE की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को तेजी से और अधिक प्रभावी बनाना है।
- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 : भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 ने भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार किए हैं। इसमें न्यायिक प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, और अन्य कानूनी प्रावधानों में बदलाव किया गया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 : यह संहिता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए कानूनी प्रावधानों को लागू करता है।
- भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023: इस विधेयक के तहत साक्ष्य प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया में और अधिक प्रभावी और तेजी से साक्ष्य प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
- पुलिस का आधुनिकीकरण : इसके तहत भारत में पुलिस बल और उससे संबंधित अनुसंधान की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत में पुलिस का आधुनिकीकरण करना अनिवार्य किया गया है।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।

कानून	नया कानून
1. भारतीय दंड संहिता (IPC)	a. भारतीय न्याय संहिता, 2023
2. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)	b. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
3. इंडियन एविडेंस एक्ट	c. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

उपरोक्त कानूनों में से कौन सा कानून सही सुमेलित है ?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भीड़ हिंसा (मोब लिंचिंग) से आप क्या समझते हैं? भारत में हाल के दिनों में भीड़ हिंसा विधि के शासन का राज और कानून – व्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। भारत में इस प्रकार की हिंसा के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। (UPSC CSE – 2019 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और उपभोक्ता संरक्षण

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था , महत्वपूर्ण प्राधिकरण और आयोग , सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और उपभोक्ता संरक्षण ' से संबंधित है।)

समाचारों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक एडटेक प्लेटफॉर्म के विज्ञापन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जुर्माने की यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत की गई है, जिसमें उक्त विज्ञापन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत "झूठा और भ्रामक" पाया गया था।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) :

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है, जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों की निगरानी और नियंत्रित करता है।
- इस अधिनियम के तहत CCPA को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।
- यह प्राधिकरण उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 की धारा 21 CCPA को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निर्देश और दंड जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
- इस धारा के तहत भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा, CCPA की शक्तियाँ और दंड (2 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना) निर्धारित हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है –

- ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग : इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नए नियम शामिल हैं।

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना : यह प्राधिकरण झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
- भ्रामक विज्ञापनों के लिए सख्त मानदंड : यह नए नियम उपभोक्ताओं को झूठे विज्ञापनों से बचाने के लिए अधिक सख्ती लाते हैं।
- उत्पाद दायित्व के लिए सख्त मानदंड : यह उत्पादों के नियम और दायित्व को भी स्पष्ट करता है।
- अनुचित अनुबंध (अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट) : यह नया प्रावधान अनुचित अनुबंधों के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के कर्तव्य और दायित्व :

- जागरूक और सूचित उपभोक्ता : भारत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भ्रामक विपणन को रोककर उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए सत्य और पहले से ही उस उत्पाद के प्रति सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- पारदर्शी विज्ञापन : केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के हस्तक्षेप उपभोक्ताओं तक सत्य और पारदर्शी विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- विश्वसनीय दावे : भारत में CCPA भ्रामक दावों को रोकता और हतोत्साहित करता है, जिससे उपभोक्ताओं का उस वस्तु या उत्पाद पर विश्वास बढ़ता है।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा : भारत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा उस उत्पाद की वास्तविक योग्यता पर आधारित हो, न कि भ्रामक दावों या विज्ञापनों के आधार पर निर्भर हो।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY, CCPA) :

- भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Central Consumer Protection Authority, CCPA) की स्थापना की गई है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना , उसका प्रोत्साहन करना और प्रवर्तन करना है।
- CCPA उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं और भ्रांतिपूर्ण विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करता है।
- यह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रगतिशील विधानों के प्रवर्तन के माध्यम से काम कर रहा है।

भारत में CCPA निम्नलिखित कार्यों को करती है –

- उपभोक्ता हकों के उल्लंघन की जांच करना और अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करना।
- उपभोक्ता आयोग के सामक्ष शिकायत दर्ज करना।
- उपभोक्ता हकों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना।
- अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता हकों के अनुशासन की सिफारिश करना।
- उपभोक्ता हकों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- उपभोक्ता हकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा करना।
- खतरनाक या असुरक्षित वस्त्र या सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा सूचनाएँ जारी करना।
- केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उपभोक्ता कल्याण के उपायों पर सलाह देना।
- अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं को रोकना।

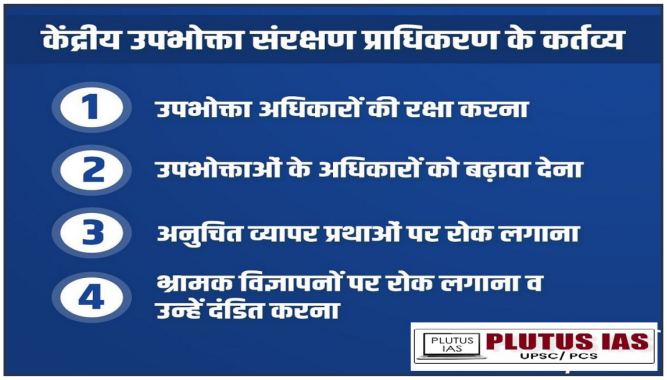

छुट्टियों के निलंबन के माध्यम से उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना :

परिचय :

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) और राज्य उपभोक्ता आयोगों ने पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रथाओं को निलंबित करके लंबित मामलों के निपटान के लिए एक प्रभावी कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ता मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटारा सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि :

- जुलाई 2020 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना के बाद से 415,104 मामले दर्ज किए गए हैं और 440,971 मामलों का निपटारा किया गया है, जो एक सकारात्मक रुझान दर्शाता है। हालांकि, दिसंबर 2022 तक उपभोक्ता आयोगों के समक्ष 555,000 मामले लंबित थे, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी।
- वर्ष 2022 में, NCDRC ने राज्य उपभोक्ता आयोगों के लिये गर्मियों की छुट्टियों को स्थगित करने की पहल शुरू की। NCDRC ने CCPA के प्रावधानों का हवाला दिया, जिसमें यह निर्दिष्ट है कि सभी आयोगों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश अनुसूची का पालन करना चाहिए और किसी भी राज्य कार्यालय में गर्मियों की छुट्टी का कोई

प्रावधान नहीं है।

प्रभाव और परिणाम :

- वर्ष 2022 तक : वर्ष 2022 में NCDRC ने 3,420 मामले प्राप्त किए और 4,138 मामलों का समाधान किया, जबकि 2021 में 2,449 मामले प्राप्त हुए और 2,011 मामलों का समाधान किया गया था।
- वर्ष 2023 : वर्ष 2023 में NCDRC ने 5,276 मामले प्राप्त किए और 6,422 मामलों का समाधान किया, जिससे लंबित मामलों में और कमी आई।
- मई 2024 तक : उपभोक्ता आयोगों ने 70,576 मामलों का समाधान किया, जबकि 69,615 मामले दायर किए गए, जो लंबित मामलों के निपटान में सकारात्मक रुझान दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, ई-कोर्ट की शुरुआत ने उपभोक्ता विवाद निवारण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

निष्कर्ष :

- भारत में उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों के निलंबन का कदम एक प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
- इससे न केवल मामलों के निपटान में तेजी आई है बल्कि उपभोक्ताओं के न्याय प्राप्ति के अधिकार को भी सशक्त बनाया गया है।
- NCDRC और राज्य उपभोक्ता आयोगों की यह पहल अन्य न्यायिक संस्थाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- उपभोक्ता फोरम को ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, दावे के मूल्य के आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है:
- 50 लाख रुपए तक के दावों के लिए ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC)।
- 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच के दावों के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC)।
- 2 करोड़ रुपए से अधिक के दावों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल :

- उपभोक्ता कल्याण कोष
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
- उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसंबर)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. यह प्राधिकरण उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

2. इसकी शक्तियों में 2 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित करना शामिल है।

3. यह उपभोक्ताओं को सत्य और पारदर्शी विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है।

4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 की धारा 21 इसको झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निर्देश और दंड जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं ।

D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के कार्यों एवं दायित्वों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE – 2020 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत का कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में उपस्थिति

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था , अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, महत्वपूर्ण प्राधिकरण और आयोग ' खंड से और मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय

कृषि से संबंधित मुख्य तथ्य और खाद्य प्रसंस्करण ' यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक , खाद्य सुरक्षा मित्र , ईट राइट स्टेशन ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत का कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में उपस्थिति ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- भारत ने हाल ही में कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन (Codex Alimentarius Commission – CAC) की कार्यकारी समिति के 86वें सत्र में भाग लिया है।
- इस सत्र में भारत ने मसालों के मानकों की गुणवत्ता मानकों जैसे कि छोटी इलायची, वेनिला और हल्दी के मानकों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इन मसालों के महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक के रूप में, भारत की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है।
- भारत ने नामित वनस्पति तेलों के मानकों के प्रगति को समर्थन दिया है, जिसके तहत शिगा टॉक्सिन-उत्पादक एशेरिकिया कोलाइ को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देशिकाएँ और खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुनः प्रयोग के मानकों के लिए भी समर्थन और सहमति व्यक्त किया है।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) :

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है।
- इस निकाय का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं की सुनिश्चितता को तय करना है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मई 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation – FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- इसके तहत विभिन्न खाद्य मानक, दिशा-निर्देश, और अभ्यास संहिताएं तैयार की जाती हैं।
- इसके तहत तय किए गए मानकों और संहिताएं आमतौर पर स्वच्छता अभ्यास, लेबलिंग, संदूषक, योजक, निरीक्षण, प्रमाणन, पोषण, और पशु चिकित्सा दवाओं और कीटनाशकों के अवशेषों से निपटने के लिए लागू होती हैं।

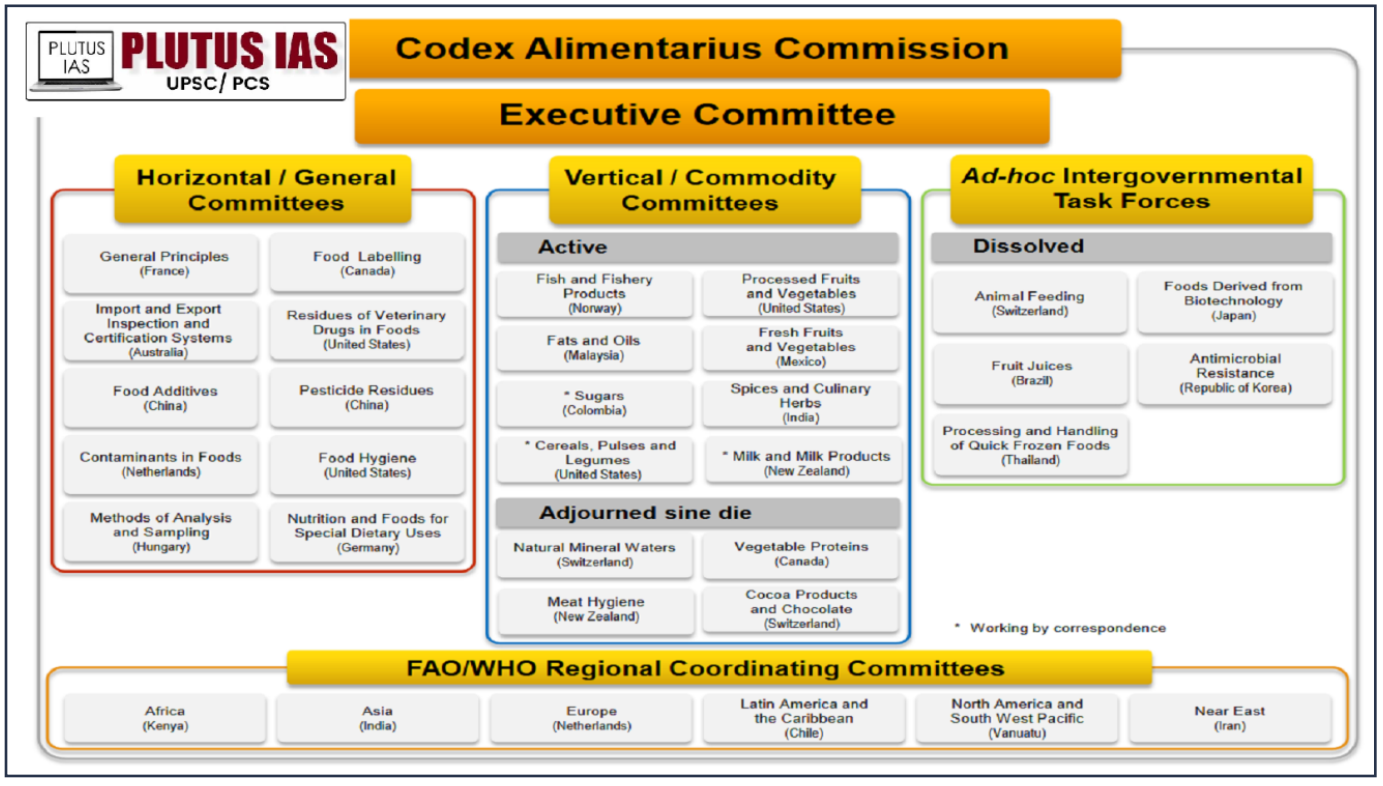

- वर्तमान में CAC में कुल 189 सदस्य हैं, जिसमें 188 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- भारत सन 1964 में CAC का सदस्य बना था।
- कोडेक्स के तहत कमोडिटी मानक विशिष्ट उत्पादों को संदर्भित करते हैं, जबकि क्षेत्रीय मानक संबंधित क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

CAC की कार्यकारी समिति (CCEXEC) का 86वाँ सत्र :

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के CEO के नेतृत्व में भारत ने रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति (CCEXEC) के 86वें सत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी की।
- CCEXEC का प्रमुख कार्य नए कार्य प्रस्तावों की समीक्षा और मानक विकास की प्रगति की निगरानी करना है।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति (CCEXEC) के 86वें सत्र के दौरान, भारत ने छोटी इलायची, हल्दी और वेनिला सहित विभिन्न मसालों के मनको के विकास के लिए जोरदार समर्थन किया।
- यह पहल भारत के लिए विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि भारत इन मसालों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। अतः इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी होगी।
- इसके अलावा, भारत ने वनस्पति तेलों के लिए मानकों की प्रगति, शिगा टॉक्सिन उत्पादन करने वाले एस्चेरिचिया कोलाई (Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli) के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देशों, और खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुनः उपयोग का समर्थन किया।
- भारत ने खाद्य पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों के उपयोग से संबंधित खाद्य सुरक्षा विचारों पर कोडेक्स द्वारा एक मार्गदर्शन विकसित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।
- यह पहल जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अंततः, भारत ने खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए पोस्ट उपभोक्ता PET (पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट) के पुनर्चक्रण पर FSSAI द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों के साथ अपने अनुभव साझा किए।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) :

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- भारत में इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।
- यह निकाय भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- यह भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित तथा पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्द्धन के लिए एक जिम्मेदार निकाय है।
- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में स्थित है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है।
- FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की भी जाँच करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मानकों का निर्माण करना है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करने के माध्यम से मानव-उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल :

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक :

- FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के पाँच मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) को विकसित किया है।

ईट राइट अवार्ड्स :

- FSSAI ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने तथा खाद्यान्न कंपनियों तथा व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने हेतु 'ईट राइट अवार्ड्स' की स्थापना की है, जो नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण में मदद करेगा।

ईट राइट मेला :

- FSSAI द्वारा आयोजित यह मेला नागरिकों को सही खान-पान हेतु प्रेरित करने के लिए एक आउटरीच गतिविधि है।

ईट राइट इंडिया (Eat Right India) :

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा शुरू किए गए इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर को सुधारना है। इसके तहत स्वस्थ खाने की आदतें, सुरक्षित भोजन और टिकाऊ खाद्य प्रणाली जैसे विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाता है।

ईट राइट स्टेशन (Eat Right Station) :

- FSSAI द्वारा शुरू किया गया यह पहल रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर खाद्य विक्रेताओं को FSSAI के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। इस पहल के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि यात्रीगण स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्राप्त हो।

RUCO (Reused Cooking Oil) :

- RUCO (Reused Cooking Oil) एक पहल है जिसका उद्देश्य प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: उपयोग करना और उसे बायो-डीजल में परिवर्तित करना है। इस पहल के तहत प्रयुक्त तेल को संग्रहित करके बायो-डीजल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और ऊर्जा के स्थायी स्रोत को बढ़ावा दिया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा मित्र (Food Safety Mitra) :

- FSSAI द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित पेशेवरों को विभिन्न खाद्य व्यवसायों में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए नियुक्त किया जाता है। ये मित्र खाद्य व्यवसायों को सही तरीके से संचालन करने में मदद करते हैं और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

100 फूड्स (100 Foods) :

- भारत में FSSAI द्वारा शुरू किए गए 100 फूड्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय खानपान की विविधता और पोषण मूल्य को प्रदर्शित करना है। इसमें 100 प्रमुख भारतीय खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न पोषण गुणों से भरपूर हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना है।
- इन तमाम पहलों का उद्देश्य समग्र रूप से भारतीय खाद्य प्रणाली को सुधारना और स्वस्थ व सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के उपयोग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए WTO किसके साथ सहयोग करता है? (UPSC – 2018)

A. खाद्य सुरक्षा मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन।

B. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज़र्स।

C. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।

D. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ क्या है और भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनाई गई मुख्य नीतियों का विस्तारपूर्वक एवं तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। (UPSC CSE – 2019 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में मातृ मृत्यु दर बनाम महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, मानव संसाधन ,मातृ मृत्यु दर से संबंधित महत्वपूर्ण पहल ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' मातृ मृत्यु अनुपात, भारत का रजिस्ट्रार जनरल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में मातृ मृत्यु दर बनाम महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- भारत में हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसायटीज़ ऑफ इंडिया (FOGSI) ने महिलाओं के लिए एक व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वयस्क नागरिकों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करना है।
- चूँकि महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा %25 अधिक समय अस्वस्थता में बिताती हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- भारत में यह टीकाकरण कार्यक्रम महिलाओं को वैक्सीन – निवार्य रोगों (Vaccine – Preventable Diseases – VPD) से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- वैक्सीन – निवार्य रोग (VPD) आमतौर पर जीवाणु या विषाणु के कारण होते हैं और टीकों से इनकी रोकथाम की जा सकती है।
- इन रोगों के कारण दीर्घकालिक व्याधि और कभी – कभी मृत्यु भी हो सकती है।
- चिकनपॉक्स, डिप्थीरिया और पोलियोवायरस संक्रमण VPD के प्रमुख उदाहरण हैं।

भारत में मातृ मृत्यु दर बनाम महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम :

भारत में मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने देश में दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरूआत की हैं।

- यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) : इस कार्यक्रम के तहत 12 वैक्सीन-निवार्य रोगों के निदान के लिए नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है। इनमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के कारण होने वाले मेनिन्जाइटिस तथा निमोनिया जैसी 9 राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित बीमारियाँ शामिल हैं।
- मिशन इंद्रधनुष : UIP के तहत टीकाकरण से छूटे बच्चों के टीकाकरण के लिए वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। इसके चार चरणों के माध्यम से 2.53 करोड़ से अधिक बच्चों और 68 लाख गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके लगाए गए।
- फेडरेशन ऑफ ओब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (FOGSI) भारत में प्रसूति तथा स्त्री रोग चिकित्सकों का समर्थन करता है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए, प्रजनन संबंधी अधिकारों को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित है।

भारत में मातृ मृत्यु दर :

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर, गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से हुई महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु माना जाता है। प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर (MMR) कहा जाता है।
- भारत के असम राज्य में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर (MMR) (195) है, जबकि केरल में प्रति लाख जीवित जन्म पर यह आंकड़ा सबसे कम(19) है। यूनेस्को के अनुसार, भारत की MMR में 2000 से 2020 तक %6.36 की गिरावट हुई है, जो वैश्विक गिरावट की दर से तीन गुना अधिक है।
- भारत में दिन – प्रतिदिन अर्थात उतरोत्तर मातृ मृत्यु दर (MMR) में सुधार हो रहा है, जो मातृ स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया :

- रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह जनसंख्या की गणना, देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के कार्यान्वयन के अलावा नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System-SRS) का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करता है।
- SRS देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है, जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं।
- SRS के तहत दर्ज मौतों के लिए वर्बल ऑटोप्सी (Verbal Autopsy-VA) उपकरणों का नियमित आधार पर उपयोग किया जाता है, ताकि देश में विशिष्ट कारणों से होने वाली मृत्यु दर का पता लगाया जा सके।

भारत में मातृ मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति :

- भारत वर्ष 2020 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्मों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब था और 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्मों के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है।
- कई विकसित देशों ने सफलतापूर्वक मातृ मृत्यु दर (MMR) को एकल अंकों में ला दिया है।
- इटली, नॉर्वे, पोलैंड, और बेलारूस में मातृ मृत्यु दर (MMR केवल 2 है, जबकि जर्मनी और यूके में यह 7 है। कनाडा में MMR 10 और अमेरिका में 19 है।
- भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तुलना में, नेपाल (186), बांग्लादेश (173), और पाकिस्तान (140) का मातृ मृत्यु दर अधिक है।
- हालांकि, चीन और श्रीलंका क्रमशः 18.3 और 36 के MMR के साथ बेहतर स्थिति में हैं।

भारत में विभिन्न राज्यों से संबंधित आँकड़े :

- भारत में सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब पाँच से बढ़कर सात हो गई है। ये राज्य हैं: केरल (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगाना (56), तमिलनाडु (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61), और गुजरात (70)।
- केरल ने सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की है, जो उसे राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर 103 से आगे रखता है।
- केरल के मातृ मृत्यु दर में 12 अंक की गिरावट आई है।
- पिछले SRS बुलेटिन (17-2015) ने राज्य की मातृ मृत्यु दर को 42 के स्तर पर रखा था, जिसे बाद में समायोजित कर 43 कर दिया गया था।
- भारत के 09 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित मातृ मृत्यु दर लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- इन राज्यों में ऊपर बताए गए सात राज्य और कर्नाटक (83) एवं हरियाणा (96) शामिल हैं।
- उत्तराखंड (101), पश्चिम बंगाल (109), पंजाब (114), बिहार (130), ओडिशा (136), और राजस्थान (141) में एमएमआर 150-100 के बीच है।
- जबकि छत्तीसगढ़ (160), मध्य प्रदेश (163), उत्तर प्रदेश (167), और असम (205) का मातृ मृत्यु दर 150 से ऊपर है।

भारत में मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कुछ सरकारी पहल :

भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल शुरू की है –

- जननी सुरक्षा योजना (JSY) : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए नकद सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराना है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) : इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि गर्भवती महिलाओं को नियमित और समय पर चिकित्सा सेवाएं मिलें।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) : यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें।
- पोषण अभियान : इस अभियान का उद्देश्य मातृ और शिशु पोषण में सुधार करना है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार और पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है।
- लक्ष्य दिशा-निर्देश : इस पहल का उद्देश्य प्रसव के दौरान महिलाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

भारत में मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में आगे की राह :

- किसी क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर उस क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक प्रमुख सूचकांक होता है।
- WHO ने भारत के मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों की सराहना की है, लेकिन भारत को अभी भी उच्च मातृ मृत्यु दर वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारत में महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम को और मजबूत करना होगा ताकि प्रजनन दर और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो सके और मातृ मृत्यु दर को और कम किया जा सके।
- भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर वाले क्षेत्रों और राज्यों में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता अभियानों का विस्तार आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में ' मशिन इंद्रधनुष ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ? (UPSC – 2016)

1. यह देश भर में स्मार्ट शहरों के निर्माण कार्यक्रम से संबंधित है।

2. यह भारत की नई शिक्षा नीति कार्यक्रम से संबंधित है।

3. यह भारत में इसरो के मिशन चंद्रयान कार्यक्रम से संबंधित है।

4. यह भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 3

D. केवल 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.चर्चा कीजिए कि भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के राह में क्या चुनौतियाँ है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए I (UPSC CSE – 2018 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)